



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 18626 वर्ष 2025

एस.आई. अशोक कुमार द्विवेदी एवं 26 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मनोज कुमार पाण्डेय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार पाण्डेय तथा राज्य के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री एस. के. पाल को सुना।
2. श्री अरुण कुमार पाण्डेय, याचिकाकर्ता संख्या 2, 13, 17, 24, 25, 26 एवं 27 की ओर से रिट याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ वापस लेने का निवेदन करते हैं कि वे प्रकरण के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय का अवलम्बन कर सकें।
3. अतः, उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ याचिकाकर्ता संख्या 2, 13, 17, 24, 25, 26 एवं 27 के लिए रिट याचिका को वापस लिया गया मानते हुए निरस्त किया जाता है।
4. इस याचिका के माध्यम से, जो कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर की गई है, शेष याचिकाकर्ता, जो राज्य पुलिस में उप निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे, 19 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वेतन में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि चाहते हैं, इस न्यायालय द्वारा **घनश्याम तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, सिविल विविध रिट याचिका संख्या 44330 वर्ष 2012** में पारित निर्णय के प्रकाश में, जिसका अनुसरण **वीरेन्द्र कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य, रिट - ए संख्या 48601 वर्ष 2015** में पारित निर्णय में किया गया, जिसके विरुद्ध विशेष अपील (दोषपूर्ण) संख्या 538 वर्ष 2016 दिनांक 07.09.2016 को निरस्त की गई तथा अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विशेष अनुमति याचिका सी.सी. संख्या 6316 वर्ष 2017 भी दिनांक 03.04.2017 को निरस्त की गई।

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि यह विधिक स्थिति आज दिनांक तक यथावत है तथा याचिकाकर्ताओं के समान अनेक कर्मचारियों को इसका लाभ प्रदान किया जा चुका है। उन्होंने न्यायालय के समक्ष इस न्यायालय द्वारा **राधे श्याम यादव एवं 4 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य, रिट - ए संख्या 6753 वर्ष 2023** में पारित हालिया आदेश भी प्रस्तुत किया है।

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता उपर्युक्त विधिक स्थिति का खण्डन नहीं कर सके।

7. उपर्युक्त के दृष्टिगत, यह याचिका इस निर्देश के साथ **निस्तारित** की जाती है कि प्रत्येक याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ता संख्या 2, 13, 17, 24, 25, 26 एवं 27 को छोड़कर) इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अपना-अपना व्यक्तिगत अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे तथा यदि अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो याचिकाकर्ताओं के दावा पर **घनश्याम तिवारी (उपर्युक्त)** के निर्णय के अनुसार विचार कर, नवीन अभ्यावेदन की प्राप्ति से दो सप्ताह की अवधि के भीतर समुचित आदेश पारित करते हुए निस्तारित किया जाएगा।

दिनांक 16 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।